

# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक

संख्या - 134/2020

निर्णय दिनांक :- 22.01.2021

उनवानी प्रार्थना पत्र:-

1. जगदीश पुत्र गोपाल जाति ब्रह्मण निवासी ठिकरियांकलां तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. मुरलीधर पुत्र गोपाल जाति ब्रह्मण निवासी ठिकरियांकलां तहसील दूनी जिला टोंक राज0

-प्रार्थी पक्ष-

बनाम

तहसीलदार दूनी जिला टोंक राज0


-अप्रार्थी पक्ष-

प्रार्थना-पत्र पत्थरगढी बाबत अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट  
आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार आराजी खाता संख्या 284 खसरा नं0 1192 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 1193 रकबा 1.82 है0 वाके ग्राम ठिकरियांकलां तहसील दूनी जिला टोंक प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है व पडोसी खातेदारों से विवाद है, परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार किसी भी पडोसी खातेदार से विवाद नहीं है।

अतः जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 में अंकित खाता संख्या 284 खसरा नं0 1192 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 1193 रकबा 1.82 है0 वाके ग्राम ठिकरियांकलां की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु तहसीलदार दूनी को मौका कमिश्नर बनाया जाता है और मौका कमिश्नर फीस 1000/- निर्धारित की जाकर एतत्द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कॉस्ट राशि नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल की जाती है

  
(भारत भूषण गोयल)  
उपखण्ड अधिकारी  
देवली